

29

दि. 07.01.2022

29



Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : 94cef9e0b57f9b99aa84

Receipt Date : 07-Jan-2022 12:08:16 pm

Receipt Amount : 20680/-

Amount In Words : Twenty Thousands Six Hundred And Eighty Rupees Only

Token Number : 20220000002097

Office Name : SRO - Latehar

Document Type : Sale Deed

Payee Name : BABITA KUMARI (Vendee)

GRN Number : 2209229241



-: For Office Use :-


श्री अशोक कुमार शर्मा
श्री अशोक कुमार शर्मा कास्टमर आईडी
: 9018 के द्वारा 46
श्री अशोक कुमार शर्मा स्टाल्ड बर्न
दिसम्बर 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।
। क सं० 23
श्री अशोक कुमार शर्मा स्टाल्ड बर्न



जगन शर्मा

Babita Kumari

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुनः प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दूसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।



Handwritten signature and date: 6.1.22

6.1.22



Handwritten text: नाम- प्रसाद प्रसाद 6-1-22

Handwritten text: मुहम्मद अली 7/11/22

ए (i) शुल्क... 15510
ई शुल्क... 2850
सलामी शुल्क... 8-00
दलवाना शुल्क... 1-00
17574

:- विक्रय पत्र :-

Handwritten signature and date: 7/11/22

यह विक्रय पत्र आज दिनांक- 07/01/2022 को लातेहार निबंधन कार्यालय मे इस प्रकार सम्पन्न होता है:-

(1) विक्रेता का नाम एवं पता :-

नवल किशोर प्रसाद पिता स्व0 गौरी साव, जाति-पिछड़ा वर्ग, सी0 एन0 टी0 एक्ट 1908 से आच्छादित नहीं है, निवास स्थान-मेन रोड तपाखास लातेहार वार्ड नं0-09, पोस्ट एवं थाना-लातेहार, जिला-लातेहार, राज्य-झारखण्ड, पेशा-खेती, राष्ट्रीयता-भारतीय। जो सी0 एन0 टी0 एक्ट 1908 का उल्लंघन विक्रेता के द्वारा नहीं किया जा रहा है। जिसका शपथ पत्र सं0 752 दिनांक 7/01/2022 दिया जा रहा है। शपथ पत्र सं0 752 दिनांक 07/01/2022 समक्ष लेख्य प्रमाणक लातेहार दिया जा रहा है। AADHAAR NO.-xxxx xxxx 8195,

Handwritten notes on the right side: नवल किशोर प्रसाद सी0 एन0 टी0 एक्ट 1908 - पेशा-खेती पेशा-खेती 07/01/2022

Handwritten notes at the bottom right: प्रसाद - 07/01/2022 विक्रेता - नवल किशोर प्रसाद 07/01/2022 पेशा-खेती पेशा-खेती 07/01/2022

सालाना माल:-

मो0 0.50 (पसास पैसा) मात्र।

लगान पानेवाला झारखण्ड सरकार अंचल कार्यालय-लातेहार, जिला-लातेहार।

यह कि खाना पांचवा में वर्णित जायदाद विक्रेता की हकियत रैयती एवं दखल कब्जे की जायदाद है। जिसका वर्तमान डिमाण्ड विक्रेता के नाम से पेज नं0-46, भौलुम नं0-4, के तहत चल रहा है वो मालगुजारी वसुली की अधतन रसीद हाल (2021-2022) तक Receipt No-0670620903, दिनांक-07.10.2021 ई0 के तहत अंचल कार्यालय लातेहार के द्वारा निर्गत की जा चुकी है। जो कैंडस्ट्रल सर्वे खतियान में विक्रेता के पिता गौरी साहु नाम से दर्ज पाया है। जिसपर विक्रेता का कब्जा दखल शान्तिपूर्वक चला आता है वो है। एवं मालिकाना अधिकार प्राप्त है।

सरेदस्त विक्रेता को चन्द खर्च हेतु रुपये की जरूरत है जिसका प्रबन्ध होना इस समय अपने पास से बगैर भूमि बिक्री किए गैरमूमकिन वो मोहाल है इसलिए विक्रेता की इच्छा हुई कि खाना पांचवा में वर्णित जायदाद को बेचकर अपनी जरूरियातों को पूरा किया जाय। इसलिए जमीन बिक्री करने की आवश्यकता महसूस हुई।

यह कि विक्रेता ने जमीन बिक्री का एलान किया तत्पश्चात क्रेता ने विक्रेता से सम्पर्क साधकर उक्त जायदाद को खरीदने की इच्छा प्रकट की जिसके उपरान्त विक्रेता एवं क्रेता के बीच उक्त जायदाद का जरसमन मो0 5,17,000/- पांच लाख सतरह हजार रुपये निर्धारित हुआ। तत्पश्चात विक्रेता आज तारीख के दिन अपनी खुशी राजी से अपने नफा वो नुकशान हाल वो आईन्दा को खूब अच्छी तरह से समझ बुझकर एवं अपने घर परिवार के सदस्य से आपस में सलाह मशवरा कर के मो0 5,17,000/- पांच लाख सतरह हजार रुपये जरसमन क्रेता से पाकर खाना पांचवा की जायदाद को क्रेता के हाथों बेचा वो केवाला विक्रय पत्र क्रेता के पक्ष में निष्पादित किया एवं खाना पांचवा में वर्णित सम्पति से अपना कब्जा दखल हक हकूक उठाकर क्रेता को कब्जा दखल देकर दखलकार कर दिया।

अब चाहिए कि क्रेता या उनके उत्तराधिकारीगण शै खरीदगी सम्पति को अपने कब्जा दखल में लाकर अपने प्रयोग में लावें, अपने सुख सुविधा की समुचित व्यवस्था करे, वो अपना नाम से दाखिल खारीज कराकर सालाना माल देकर वसुली की रसीद ले लिया करे या जो उचित समझे अपनी सुविधानुसार करें उसमें विक्रेता या उनके उत्तराधिकारियों को कोई उजूर वो एतराज नहीं है वो ना भविष्य में होगा। शै केवाला हर तरह से पाक साफ है।

शै मोबईया का नक्शा दस्तावेज के साथ संलग्न है जिसमें बिक्री की जाने वाली भूमि को पलौट नं0-161/558 पार्ट ट्रेश नक्शा में लाल रंग से रंगकर दर्शाया गया है जो दस्तावेज का एक अंग है।

मालगुजारी (91015)
6-1-22

गवाह
गौरम दाल पिता:- प्रोबचन्दबाल
गाम+पति+किसान-साहिल
पेशा-कृषि
07-1-06/10/2022

/4/

इसलिए विक्रेता अपनी खूशी राजी से अपने लाम वो हानि को खुब अच्छी तरह से समझ बुझकर उपर वर्णित जायदाद को क्रेता के हाथो विक्री करते हुए सबुत के तौर पर यह वसीका केवाला विक्रय पत्र बनाम वो बहक क्रेता के पक्ष में लिख दिया की सनद रहे वो समय पर काम आवे। फकत:-

24/11/22
21/11/22
21/11/22



04
6.1.22



~~Bekher Kumar~~

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छायाचित्र दस्तावेज में लगा है के बांये हाथ के अंगुलियों के निशान मेरे सामने लिया गया है।

कातिब:-

रिजवान अहमद

वसीका नवीस,

लातेहार कोर्ट,

जिला- लातेहार,

ता. 06/01/2022

मजमुन दोनों पक्षों को पढ़कर सुना दिया। वे बोलें की ठीक है।


मीठा-रुप्यालय
 भागा नं - २४ई
 भागा - लोहेडा
 तालुका - लोहेडा
 जिला - लोहेडा
 क्षेत्रफल १६' २ १ मील

क्षेत्र :- विक्री हेतु लोहेडा तालुका भाग में


खाना नं	लोहेडा नं	रकबा
२४	१६१/२४ई	०.०४ एकड़

पोस्टवा

७०० लक्ष्मिबा बाडू
 दूर रास्ता १०' फीट
 पूर - विक्री नील
 प - विक्री नील



दफ्तरी क्षेत्र



विक्री :- २०/१०/२०
 क्षेत्र :- श्रीमती कुमारी

Babiker Kumari

Tress of
 Gauri
 Anand

राजम केशव राना

रसाद मालगुजारी
नाम सर्कल । नाम मौजा मय
धाना वो धाना नम्बर

V

नाम रैयत मय वलिदयत जमाबन्दी वो सकुनत नम्बर।
Page No. : 9
Vol. No. : 9
Receipt No. : 0844966977

लातेहार तापाखास 249 BABITA KUMARI		
खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा (एकड़ में)
84	161/558	0 एकड़ 4 डिसमील 0 हेक्टर

अराजो नकदी	अराजी भावली	तफसील हिसाब लगान भावली
------------	-------------	------------------------

जोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बावत	सालाना	बकाया				हाल (2024-2025)
		तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष	१ ला वर्ष (2023-2024)	
माल (नकदी)	20.00				20.00	20.00
गुजारी (भावली)	5.00				5.00	5.00
सेस	10.00				10.00	10.00
सूद	10.00				10.00	10.00
मुतफरकात	4.00				4.00	4.00
मीजान	49.00				49.00	49.00

तफसील अदायकारी

अदायकारी बावत	बकाया				मोतालबा हाल (2024-2025)	फाजिल
	तीन वर्ष से ज्यादा	३ रा वर्ष	२ रा वर्ष	१ ला वर्ष (2023-2024)		
माल (नकदी)				20.00	20.00	
गुजारी (भावली)				5.00	5.00	
सेस				10.00	10.00	
सूद				10.00	10.00	
मुतफरकात				4.00	4.00	
मीजान अदायकारी				49.00	49.00	

(१) मीजान कुल (लफजों में) : **Ninety Eight Rupees**

(२) नाम देहिन्दा -

(३) कुल बकाया- **98.00**

तारीख अमला तहसील कुनिन्दा : **24-07-2024**

खास महाल का बकाया मालगुजारी पर (सिवाय ऐसे बकायों पर जिन पर कि सर्टिफिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।



यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है।

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

किसी भी प्रकार की अशुद्धियों के लिए सम्बन्धित अंचलाधिकारी से संपर्क करें।

दो गज की दूरी का रखो ध्यान यही है कोरोना का समाधान।

LATEHAR NAGAR PANCHAYAT

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 1038241250724020753

Date : 25-07-2024

प्रभावी : प्रथम तिमाही 2022-2023

श्री/श्रीमती/सुश्री Babita Devi W/O Vijay kumar paswan,
मोहल्ला TAPKHAS LATEHAR LATEHAR
LATEHAR , 829206
8709874120

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं - 0090000589000M0 वार्ड सं 9 हुआ है, आपके स्व निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- ₹ निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	61.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		61.00



To be signed by the Applicant

नोट:-

- कर निर्धारण की सूची, LATEHAR NAGAR PANCHAYAT Website, suda.jharkhand.gov.in पर प्रदर्शित है।
- नियमावली कंडिका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
- यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
- किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
- यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
- LATEHAR NAGAR PANCHAYAT द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन इमरतों/ढांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलदार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
- अगर आपके नये होल्डिंग नंओ का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.